

 <p>आरईसी REC</p> <p>असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.</p>	<p>आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) (भारत सरकार का उद्यम)</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड नई दिल्ली 110003</p> <p>कार्यालय: आरईसी वर्ल्ड हेडक्वार्टर, प्लॉट नंबर आई-4, इफको चौक के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001, (हरियाणा)</p> <p>दूरभाष 011-4102 0101 फैक्स 011-2436 0644</p> <p>वेबसाइट www.recindia.com</p> <p>[सीआईएन: L40101DL1969GOI005095]</p>	 <p>स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर</p>
---	---	--

सं. एलपीसी सं.006/2023-24

दिनांक: 25.09.2023

ऋण नीति परिपत्र संख्या 006/2023-24

विषय: आरईसी लिमिटेड की पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) श्रेणी के लिए उधार दरें

सक्षम प्राधिकारी ने पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) श्रेणी के लिए ब्याज दरों को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार है:-

- पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए ब्याज दरें लागू गैर-पारंपरिक उत्पादन-नवीकरणीय ऊर्जा (पवन और सौर) से 25 बीपीएस अधिक होंगी।
- इसके अलावा, 6 महीने के संतोषजनक वाणिज्यिक संचालन के बाद पोस्ट सीओडी छूट की अनुमति दी जाएगी, इसे नवीकरणीय ऊर्जा (सौर/पवन) परियोजनाओं के लिए लागू पोस्ट सीओडी दरों के साथ संरेखित किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के उधारकर्ता को छूट का लाभ जारी रखने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीओडी के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर साल बाहरी रेटिंग '(निवेश ग्रेड से कम नहीं) जमा करनी होगी।

उपरोक्त दर 24 सितंबर, 2023 से अगली अधिसूचना तक लागू रहेगी।

मंजूरी पत्रों को जारी करने वाली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय में वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि लागू ब्याज दरें और अन्य नियम और शर्तें सभी संबंधितों को विधिवत सूचित की जाएं और मंजूरी पत्र में उचित ढंग से शामिल की जाएं।

शुचि गोयल
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

वितरण:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) कार्यालय
2. कार्यपालक निदेशक (एसओपी)/कार्यपालक निदेशक (पीएसपीएम)/कार्यपालक निदेशक (टीएंडडी और उत्पादन)
3. विभागाध्यक्ष (ऋण एवं वसूली)
4. क्षेत्रीय कार्यालयों/पीओ और राज्य कार्यालयों में सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक/मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक।
5. विभागाध्यक्ष (आईटी) - आरईसी वेबसाइट और इंटरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था के लिए।
6. विभागाध्यक्ष (राजभाषा) - हिंदी में अनुवाद के लिए।